

Most Urgent

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 1(16) ग्रावि/नरेगा/आईपीपीई/2014-15  
जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस  
(समस्त जिले)

जयपुर, दिनांक:- 26 MAR 2015

विषय:- श्रम बजट 2015-16-ब्लॉक स्तर पर सरपंचों की बैठक एवं ग्राम पंचायतों में  
'विशेष रोजगार दिवस' आयोजित करने बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के पत्र दिनांक 20.03.2015 के द्वारा ग्राम पंचायतवार वर्ष 2015-16 का अनुमोदित श्रम बजट एमआईएस से प्रिन्ट लेकर/संशोधित कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इस सम्बन्ध में निम्न निर्देशों पर भी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

1. ग्राम पंचायतों के सचिव/सरपंचों की बैठक पंचायत समिति स्तर पर 31 मार्च 2015 तक आयोजित कर, श्रम बजट 2015-16 की प्रति उपलब्ध कराई जावे।
2. ग्राम पंचायतों को महिलाएँ एवं दुर्बल वर्गों के व्यक्तियों को कार्य आवंटन कराने की आवश्यकता व प्राथमिकता के बारे में अवगत कराया जावे।
3. ग्राम पंचायत में निर्धारित दिवस (प्रत्येक गुरुवार) को रोजगार दिवस आयोजित करने के निर्देश देवें। जहाँ तक सम्भव हो रोजगार दिवस प्रत्येक वार्ड स्तर पर आयोजित किया जावे।
4. बैठक में ईएफएमएस प्रणाली के बारे में अवगत कराया जावे। यह भी अवगत करावें कि बजट उपलब्धता की सीमा अनुमोदित श्रम बजट तक ही नहीं है, कार्य की मांग अनुसार श्रम बजट को संशोधित कराया जा सकता है।
5. स्थाई एवं उत्पादक श्रेणी के कार्य विशेषकर, जल, जंगल, जमीन, वृक्षारोपण (कृषि सम्बन्धी गतिविधि) से सम्बन्धित कार्य कराए जाने हेतु अवगत कराया जावे।
6. अप्रैल 2015 के प्रथम सप्ताह में 'विशेष रोजगार दिवस' आयोजित किया जावे, जिसमें जुलाई-2015 (आगामी चार माह) तक कराए जाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध करने के साथ-साथ पखवाडे वार श्रमिकों की मांग का आंकलन किया जावे तथा श्रमिकों द्वारा की जा रही मांग प्राप्त कर, दिनांकित प्राप्ति रसीद दिलाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

कृपया योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही विशेष ध्यान देकर, नियमित मॉनिटरिंग प्रत्येक स्तर से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

*Ans* 26/3/15  
(रोहित कुमार)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान (जयपुर, बाडमेर को छोड़कर)।
2. अति जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस जिला जयपुर, बाडमेर।
3. अधिवासी अभियन्ता (ईजीएस) समस्त। / कार्यक्रम अधिकारी पं० से. समस्त
4. श्री रिकू छीपा एमआईएस मैनेजर को भेजकर लेख है कि ई-मेल एवं परिपत्र Nrega.raj.nic.in पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

परियोजना निदेशक, एवं उपसचिव, ईजीएस

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, नरेगा)



कमांक एफ ( )ग्रावि/नरेगा/आईपीपीई ब्लॉक/2014  
जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस  
(समस्त जिले)

जयपुर,दिनांक 20 MAR 2015

विषय – श्रम बजट वर्ष 2015-16 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य का श्रम बजट वर्ष 2015-16 दिनांक 11.03.2015 को आयोजित बैठक में, अनुमोदित किया जा चुका है। उक्त श्रम बजट की ग्राम पंचायतवार/माहवार वर्ष 2015-16 के लिए अनुमोदित मानव दिवसों की सूचना संख्या की रिपोर्ट एमआईएस पर निम्न लिंक अनुसार उपलब्ध हैं।

Home page Nrega → MIS Report → R2 Planning of work → Gp wise agreed labour budget (FY2015&16) → State → District → Block → Gram Panchayat → View Detail

एमआईएस पर उपलब्ध उक्त श्रम बजट 2015-16 की अनुमानित मानव दिवसों की संख्या अनुसार माहवार execution की कार्यवाही सम्पादित कराई जावे। इस हेतु ग्राम पंचायतवार एमआईएस पर उपलब्ध श्रम बजट की वर्ष 2015-16 की प्रति का ग्राम पंचायतवार प्रिन्ट आउट कार्यक्रम अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायेगा, तथा ग्राम पंचायत से प्राप्ति रसीद प्राप्त कर पत्रावली में संधारित करेगा, जिन ग्राम पंचायतों का पुर्नगठन किया गया है, उन ग्राम पंचायत को एमआईएस से Generate श्रम बजट की प्रति नहीं दी जावे। इन ग्राम पंचायतों के अनुमोदित श्रम बजट में अनुमानित मानव दिवसों की संख्या को राजस्व ग्रामवार/सक्रिय कार्य करने वाले परिवार के अनुसार विभाजित किया जाकर, राजस्व ग्राम जिस ग्राम पंचायत का भाग है, उन का श्रम बजट संशोधित तैयार किया जाकर इन ग्राम पंचायतों को तैयार संशोधित श्रम बजट उपलब्ध कराया जाकर ग्राम पंचायत से प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे।

यहां यह ध्यान रखा जावे की अनुमोदित मानव दिवसों की संख्या सम्पूर्ण पंचायत समिति में आने वाली ग्राम पंचायतों के अनुमोदित मानव दिवसों की कुल संख्या से अधिक न हो अर्थात् जिले/पंचायत समिति का श्रम बजट 2015-16 भारत सरकार द्वारा अनुमोदित श्रम बजट से अधिक न हो। इस प्रकार ग्राम पंचायतवार संशोधित श्रम बजट की प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित की जावे।

*ah*  
(रोहित कुमार) 19/3/15  
आयुक्त ईजीएस,

प्रतिलिपी:-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी जिला परिषद समस्त।

*ah*  
परि.निदे.एवं उप सचिव ईजीएस,